न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 138/17

अनवान :

1. हनुमान पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र धारू जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. मीरा
3. सुमन
4. उर्मिला

(2–4) पुत्रियां रामस्वरूप जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
6. आईसीआईसीआई बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री भानुप्रताप : वादी

वकील श्री विक्रम यादव : **प्रतिवादी सं0 1 ता 4**

निर्णय **दिनांक** 15/12/17

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता रामस्वरूप के नाम से मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 221/198 के खसरा सं0 252/1 की 7.778 है0 खसरा सं0 374 की 6.019 है0 खसरा सं0 580/252 की 6.324 है0 कुल 20.121 है0 बारानी कृषि भूमि व चक 10 एमएसआर के खाता सं0 104/97 के मु0नं0 40 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 13, 18 ता 20 कुल किता 14 में मय रास्ता 3.542 है0 नहरी कृषि भूमि। इसी प्रकार चक 12 एमएसआर के खाता सं0 139/127 के मु0नं0 82 के किला नं0 21 ता 25 की 1.265 है0 नहरी मय रास्ता मु0नं0 83 के किला नं0 1 ता 6 में 1.518 है0 नहरी व गैरमुमकिन रास्ता 0.190 है0 की कुल किता 11 की 2.783 है0 खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जो वादी के दादा धारू की खतोदारी हुआ करती थी। धारू के देहान्त होने के उपरान्त उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हुई थी। परन्तु वाद भूमि को प्रतिवादी रामस्वरूप ने महज कर्ता खानदान होने के कारण अपने अकेले के नाम से विरासतन दर्ज करवा ली।

बाद भूमि के सम्बंध में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 का आपस में पारिवारिक सैटेलमेन्ट हो गया था। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई तथा इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में चली आ रही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप के नाम से चली आ रही है जिसमें प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ रहा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी हनुमान के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 12 एमएसआर सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 10 एमएसआर सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मुन्सरी बारानी सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध ग्राम मुन्सरी बारानी विभाग सम्वत 2029 से 38 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 12 मुन्सरी सम्वत 2029 से 38 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 10 मुन्सरी सम्वत 2029 से 38 प्रदर्श 6, असल प्रति आईसीआईसीआई बैंक नोड्युज प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये एवं असल प्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत की।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि विवादित आराजी वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है। महज कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा प्रतिवादी सं0 1 नाम से दर्ज है। इस प्रकार वाद वादी डक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा मुन्सरी बारानी, 10 व 12 एएमएस के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा में विवादित कृषि भूमि को दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना अंकित किया है जिसके समर्थन में वादी ने जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध ग्राम मुन्सरी बारानी विभाग सम्वत 2029 से 38 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 12 मुन्सरी सम्वत 2029 से 38 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 10 मुन्सरी सम्वत 2029 से 38 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये है उनमें वाद भूमि वादी के दादा धारू वल्द पीरा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज जिससे वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है व प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र में रामस्वरूप के जायज मौजूदा वारिसान में पत्नि बादो, तीन पुत्रियां मीरा, सुमन, उर्मीला व एक पुत्र हनुमानसिंह होना अंकित है एवं इसके अलावा वादी ने आईसीआईसीआई बैंक का नोड्युज पत्र प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाया है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनाम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 221 / 198 के खसरा सं0 252 / 1 की 7.778 है0 खसरा सं0 374 की 6.019 है0 खसरा सं0 580 / 252 की 6.324 है0 कुल 20.121 है0 बारानी कृषि भूमि व चक 10 एमएसआर के खाता सं0 104 / 97 के मु0नं0 40

के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 13, 18 ता 20 कुल किता 14 में मय रास्ता 3.542 है0 नहरी कृषि भूमि। इसी प्रकार चक 12 एमएसआर के खाता सं0 139/127 के मु0नं0 82 के किला नं0 21 ता 25 की 1.265 है0 नहरी मय रास्ता मु0नं0 83 के किला नं0 1 ता 6 में 1.518 है0 नहरी व गैरमुमकिन रास्ता 0.190 है0 की कुल किता 11 की 2.783 है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी हनुमान व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 पांचों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/12/17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) (जिला हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 138/17

अनवान :

1. हनुमान पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र धारू जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. मीरा
3. सुमन
4. उर्मिला

(2 से 4) पुत्रियां रामस्वरूप जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
6. आईसीआईसीआई बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

आंज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री भानुप्रताप एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 4 श्री विक्रम यादव की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनाम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 221/198 के खसरा सं0 252/1 की 7.778 है0 खसरा सं0 374 की 6.019 है0 खसरा सं0 580/252 की 6.324 है0 कुल 20.121 है0 बारानी कृषि भूमि व चक 10 एमएसआर के खाता सं0 104/97 के मु0नं0 40 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 13, 18 ता 20 कुल किता 14 में मय रास्ता 3.542 है0 नहरी कृषि भूमि। इसी प्रकार चक 12 एमएसआर के खाता सं0 139/127 के मु0नं0 82 के किला नं0 21 ता 25 की 1.265 है0 नहरी मय रास्ता मु0नं0 83 के किला नं0 1 ता 6 में 1.518 है0 नहरी व गैरमुमकिन रास्ता 0.190 है0 की कुल किता 11 की 2.783 है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी हनुमान व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 पांचों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/12/17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़